

विधान सभा तारिकित प्रश्न क्रमांक 3346 द्वारा माननीय श्री प्रियव्रत सिंह

परिशिष्ट-2

प्रपत्र-अ

दिसम्बर 2018 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त शिकायतो पर दर्ज अवैध उत्खनन के प्रकरणों की जानकारी

स. क्र.	अवैध उत्खनकर्ता का नाम	अवैध उत्खनन स्थल	अधिरोधित अर्थपट्ट	जमा राशि	शेष राशि
1	बापुलाल पिता हजारीलाल दांगी नि. ग्राम काशीखेड़ी तह. जीरापुर जिला राजगढ़	काशीखेड़ी/बाटावदा	11,51,05,500	-	11,51,05,500
2	हुसैन मोहम्मद पिता मो० सिद्दकी, कम्पनी जैन एरिजेशन सिस्टम लिमिटेड हाल मुकाम राणाप्रताप नगर बायापास रोड राजगढ़	चौडापुरा डुंगरी	28,12,500	-	28,12,500
3	दुर्गेश दांगी पिता हजारीलाल दांगी नि. ग्राम पिपल्याकुल्मी तह. जीरापुर जिला राजगढ़	गोपडपुर	70,475	70,475	-
4	राजबाबु पिता प्रेमसिंह नि. ग्राम मातलिया तह. खुजनेर	खुजनेर	1,17,800	1,17,800	-
5	श्रीलाल सौव्या पिता रामप्रसाद नि. ग्राम वावडीखेडा तह. खिलवीपुर जिला राजगढ़	राजगढ़	20,000	20,000	-
6	मुकेश चौहान पिता भेरु सिंह नि. ग्राम बरखेडा तह. व जिला राजगढ़	मयोपुरा	10,000	10,000	-
7	देवेश पिता फुलसिंह नि. ब्यावरा तह. ब्यावरा जिला राजगढ़	पीपलवे आश्रम	15,000	15,000	-
8	इन्द्रपाल पटेल पिता मधुसूदास नि. ग्राम जरियारी तह. मेहर जिला सतना	पीन्खेड़ी	7,50,000	7,50,000	-
9	मोहन सिंह पिता इमरत सिंह निवासी सवेत तहसील देवगाँव जिला रायसेन	सुण्डी	1,46,875	1,46,875	-
10	राजगढ़ नारायण पिता हजारीलाल नि० चौकी तह० सुतलिया जि०	बडाबलडा	60,000	60,000	-
11	मेहताब सिंह पिता मोतीलाल गुर्जर नि० बेडाकापुरा तह० व जिला राजगढ़	बेडाकापुरा	18,750	18,750	-
12	पवन गुर्जर पिता पुरुषोत्तम गुर्जर नि० बिलापुरा तह० पचोर जि० राजगढ़	बिलापुरा	90,000	90,000	-

(प्रकाश पन्ना)

अवर सचिव

म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

13	भगवान सिंह पिता बापूसिंह नि0 कोट्या तह0 जीरापुर जि0 राजगढ़	कोट्या	1,37,500	1,37,500	-
14	सोहल मंसूरी पिता जाकीर खॉन नि0 पगारियाहाट तह0 आप्वा जि0 सिंहीर	लाटहेड़ी	1,87,500	1,87,500	-
15	रामस्वरूप पिता रंगनाल नि0 तलावडा तह0 ब्यावरा जि0 राजगढ़	खिलवीपुर	37,500	37,500	-

पूरक जानकारी :- जिला राजगढ़ में अवैध उत्खनन की प्राप्त शिकायतों में से अवैध उत्खनन के कुल 15 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। जिनमें से 01 प्रकरण कलेक्टर न्यायालय राजगढ़ में विचाराधीन है एवं 01 प्रकरण जो कि स.क्र. 1 पर दर्शित है के संबंध में संचालक भौतिकी तथा खनिकर्म भोपाल को अपील किये जाने पर कलेक्टर राजगढ़ के आदेश को अपास्त किया जाकर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाकर शिकायत के संबंध में पुनः जॉच एवं विधि संगत कार्यवाही के निर्देश दिये गये। इस संबंध में कलेक्टर न्यायालयीन पत्र क्र. 1125 दिनांक 27.01.2021 द्वारा संचालनालय भौतिकी तथा खनिकर्म भोपाल को लेख किया गया है कि संचालनालय भौतिकी तथा खनिकर्म म.प्र. भोपाल द्वारा गठित जांच दल द्वारा शिकायत की जांच करवाई गई है। ऐसी स्थिति में इस कार्यालय द्वारा कनिष्ठ जांच दल से पुनः जांच करवाई जाना उचित नहीं होगा। उक्त प्रकरण में शिकायत की जांच शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय जांच दल से करवाई जाने का लेख किया गया है।

(प्रकाश पन्डे)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

खनिज अधिकारी
खाली अहिलेश्वरी
पिप्रा सांसद (म.प्र.)